No.1(5)/E.II(A)/2009 Government of India Ministry of Finance (Department of Expenditure) *******

North Block, New Delhi, Dated: the 24th December, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Delegation of financial powers for entering into rate contracts of DGS&D.

The undersigned is directed to refer to Rule 21(b) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 which lays down, inter-alia, the powers of Secretary of Departments for sanction of expenditure for purchases and for execution of contracts, including agreements or contracts for technical collaboration or consultancy services, as under:

For open or limited tender contracts	Rs. 20 crore
For negotiated or single tender or proprietary contracts	Rs. 5 crore
For agreements or contracts for technical collaboration	Rs. 2 crore
and consultancy services	

2. The proposal of Department of Commerce for enhanced powers to the Secretary, D/o Commerce for entering into rate contracts of DGS&D has been considered in the above context. It has been decided that Secretary, D/o Commerce would have powers to approve rate contracts of DGS&D of value upto Rs. 100 crore in each case.

(S.Krishnamoorthi)
Under Secretary to the Govt of India

To

All Financial Advisors

NIC (with request to upload in one website)

संख्या 1(5)/संस्था-II(क)/2009 भारत सरकार वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक है भे दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की दर संविदा करने के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

अधोहस्ताक्षरी को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 21(ख) का हवाला देने का निदेश हुआ है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी सहयोग अथवा परामर्शी सेवाओं हेतु करारों अथवा संविदाओं समेत क्रय तथा संविदाओं के निष्पादन पर होने वाले व्यय की मंजूरी के लिए विभागों के सचिव की शक्तियों को निम्नवत निर्धारित करता है:

खुली अथवा सीमित निविदा संविदाओं के लिए	20 करोड़ रुपए
परक्रामित अथवा एकल निविदा अथवा मालिकाना संविदाओं के लिए	5 करोड़ रुपए
तकनीकी सहयोग तथा परामर्शी सेवाओं हेतु करारों अथवा संविदाओं के लिए	2 करोड़ रुपए

2. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एंड डी.) की दर संविदा करने के लिए सचिव, वाणिज्य विभाग की शक्तियों में वृद्धि के लिए वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव पर उपर्युक्त के संदर्भ में विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि सचिव, वाणिज्य विभाग के पास प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए तक के मूल्य की डी.जी.एस. एंड डी. की दर संविदा करने को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।

प्रसंक्रिक्शित्री (एस. कृष्णमूर्ति) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी वित्तीय सलाहकार।